न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान मुकेश कुमार बनाम लालचन्द आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 239 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम तारीख पर ही वाद के अंतिम निस्तारण तक स्थगन आदेश पारित किया है जिससे अपीलाट के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के संदर्भ में किये कथनों को स्वीकार किया ऐसी स्थिति में विधि अनुसार जद्दी जायदाद व संयुक्त खाता की कृषि भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कृषि भूमि के किलों का बेचान नहीं किया जा सकता है। लेकिन विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार है लेकिन उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। वादी ने अन्य प्रतिवादीगण को तलब नहीं किया है। प्रश्नगत स्थगन पिता की भूमि में दे दिया गया है लेकिन अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया गया है ना ही अन्य प्रतिवादीगण को तलब ही किया गया है। अन्य सहखातेदारान बेचान कर रहे है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 से स्पष्ट है कि धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण को दर्ज करते हुए अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध वाद के अंतिम फैसला तक प्रश्नगत भूमि जो अप्रार्थी लालचन्द पुत्र पूर्णराम के नाम दर्ज है जमीन के 1/2 हिस्से को रहन बैय व अन्य किसी तरीके से अंतरित एवं मुन्तकिल करने से निषेध रहने का आदेश पारित किया है। पत्रावली में आगामी दिनांक 15.09.2023 नियत की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश अंतरिम आदेश है। लेकिन अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते समय वाद के अंतिम फैसले तक स्थगन आदेश जारी कर दिया है। स्थगन आदेश जारी करते समय किसी भी प्रतिवादी को तलब नहीं किया गया है एवं ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 3703/2023 अनवान करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरिम आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हाने के कारण पोषणीय नहीं है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है परन्तु प्रश्नगत आदेश प्रतिवादीगण को सुने बिना एकपक्षीय ताफैसला वाद पारित किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के प्र0 सं0 50/2023 अनवान मुकेश कुमार बनाम लालचंद आदि में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिवत सुनवाई करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर एक माह के अन्दर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिक
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

करे। अपीलाण्ट परीक्षण न्यायालय में दिनांक 26.09.2023 को उपस्थित हों। परीक्षण न्यायालय उक्त दिनांक से आगामी एक माह में सुनकर अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

पत्रावली दर्ज कर निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.09.2023

(अशोक कुमार असीजा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner